

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी- /2018/ दिनांक:-
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 झुन्झुनू


विषय:-श्रीमती पूनम नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने बाबत ।

सन्दर्भ:- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सी एच सी बिसाउ का पत्रांक 164-68 दिनांक
 08.04.17 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के पत्र के क्रम में श्रीमती पूनम , नर्स-2 का अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सी एच सी बिसाउ द्वारा निदेशालय को उक्त कार्मिका का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने हेतु भिजवाया गया है


अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन आने वाली संस्थाओ को पाबन्द करे की भविष्य में निदेशालय को सीधे ही पत्राचार नही करे , साथ ही उक्त प्रकरण में अध्ययन अवकाश निदेशालय के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है , अध्ययन अवधि में 30 दिवस से अधिक का अवकाश आवेदन करने पर ही प्रकरण स्वीकृति हेतु निदेशालय को भिजवाया जाता है ।

उक्त प्रकरण में निदेशालय स्तर में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही है क्योंकि अध्ययन अवकाश की सतता में 30 दिवस से कम के अवकाश को अध्ययन अवकाश में ही शुमार किया जाता है ।


 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर
 दिनांक:- 31/10/18

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/पी- /2018/1528
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सम्बन्धित की ई मेल भी करे ।


 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर